उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग-**1**

संख्या-**6**/2019/278/55-पर्या-1-2019-23(पर्या)/97

लखनऊः दिनांकः 09 मार्च**,** 2019

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, 1897) की धारा-21 के साथ पठित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4(2)(डी) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय श्री भिखारी प्रजापति, गोरखपुर को तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अग्रिम आदेशों तक गैर सरकारी सदस्य नामित करते है। श्री प्रजापति का कार्यकाल बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-6/2019/278(1)/55-पर्या-1-2019-23(पर्या)/97 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, गृह/गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 पर्यावरण मंत्री/राज्य मंत्री, उ0प्र0।
5- अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
6- अध्यक्ष/सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
9- श्री भिखारी प्रजापति, गोरखपुर।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से**,**

(कल्पना अवस्थी)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in